राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(243)एम.ई./ग्रुप–1/2017 जयपुर, दिनांक 22 NOV 2017

आदेश

इस विभाग के आदेश कमांक एफ. 1(95)डी.एम.ई./16 दिनांक 15.2.2017 के द्वारा डॉ0 शालिनी उपाध्याय (मेरिट क्रमांक 44/सामान्य महिला, जन्म तिथि 06.8.1987) को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, अजमेर में किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ0 उपाध्याय को आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना था।

डॉ0 उपाध्याय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पदस्थापन स्थान में संशोधन किये जाने का निवदेन किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप–1/1996 दिनांक 27.04.2017 द्वारा इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज अजमेर से मेडिकल कॉलेज कोटा किया गया।

डॉ0 उपाध्याय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण काल में अभिवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश कमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप–1/1996 पार्ट दिनांक 10.03.2017 के द्वारा डॉ0 उपाध्याय के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 14.08.2017 तक की अभिवृद्धि कर निर्देशित किया गया था कि कार्यग्रहण अवधि वृद्धि में पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज कोटा के पत्रांक प. 2( )स्था0. राज0/2017/1890 दिनांक 31.10.2017 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ0 उपाध्याय ने दिनांक 31.10.2017 तक वरिष्ठ प्रदर्शक पैथालोजी के पद पर कार्यभार ग्रहण नही किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 शालिनी उपाध्याय उक्त नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने की इच्छुक नही है। अतः डॉ0 उपाध्याय के द्वारा नवनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नही करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(95)डी.एम.ई./16 दिनांक 15.2.2017 के द्वारा उनका वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(33)भर्ती/गोपनीय/2013–14/210 दिनांक 06.09.2016 एवं एफ. 7(33)भर्ती 'ख'/2013–14/771 दिनांक 06.10.2016 के संदर्भ में।
   के संदर्भ में।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा/अजमेर।
3. डा0 शालिनी उपाध्याय पुत्री श्री त्रिलोक चन्द उपाध्याय, मकान न. 1–6–13, टीचर्स कॉलोनी, केशवपुरा, कोटा(राज.)–324009 (**रजिस्टर्ड डाक से**)।
4. सहायक प्रोग्रामर चिकित्सा शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव